№ 006116

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 1049 वर्ष 2004-2005

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि युवा संघ शिक्षा समिति ....

....

....

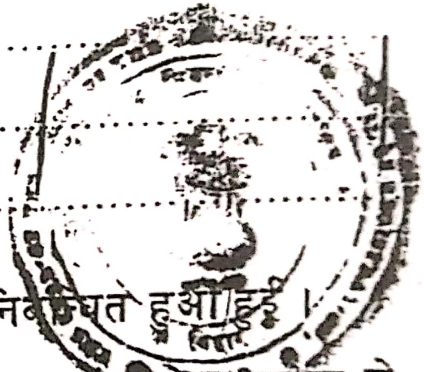

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख 21 चौदह मास दस वर्ष दो हजार चार को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

मिलान किया 11.4.25

10.10.04

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

सत्यापित प्रति 11/04/25

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना

बि० स० मु० (निबन्धन) 1 —11—10,000—23-9-2004—पी० एन० सिंह

(2)

(12)

'युवा संघ शिक्षा समिति'
का
स्मृति-पत्र

1 संस्था का नाम :- **'युवा संघ शिक्षा समिति'** होगा ।

2. निबंधित कार्यालय :- इस संस्था का निबंधित कार्यालय-मनेर, पो0-मनेर, थाना- मनेर, जिला- पटना (बिहार) में रहेगा
स्थान परिवर्तन की सूचना निबंधन महानिरीक्षक,बिहार, पटना को 15 दिनों के अन्दर दे दी जाएगी ।

3 कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत होगा ।

4 उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :-

(क) संस्था बेरोजगार नवयुवक/ नवयुवतियों के उत्थान के लिए नाटक, गीत, संगीत, नृत्य, गायन, चित्रकला एवं कला से संबंधित शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार और उनके प्रदर्शन की व्यवस्था करेगी ।

(ख) संस्था सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वाद्य संगीत, नाटक नौटंकी आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम का राज्य एवं देश स्तर पर कार्यक्रम संचालित करेगी ।

(ग) संस्था ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं एवं अशिक्षित महिलाओं के उत्थान के लिए साड़ी पर एप्लीक, सिक्कों से बनने वाली तरह-तरह की मुर्तियॉ, कपड़ा पर तरह-तरह की फुल तथा कला से संबंधात सभी जानकारी देकर पुर्णरूपेण प्रशिक्षण देने का प्रयास करेगी जिससे कि वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीविकोपार्जन कर सकें ।

(घ) संस्था बेरोजगारों के उत्थान के लिए अपने कर्यक्रम के माध्यम से नाटक, गीत संगीत एवं नृत्य का आयोजन करेगी । यह आयोजन राज्य एवं देश स्तर पर होगा ।

(ङ) संस्था बेरोजगारों/ युवतियों एवं अनाथों के उत्थान के लिए शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर एक सांस्कृतिक विद्यालय खोली जायेगी जिसमें कला से संबंधित सभी विषयों की पढ़ाई होगी ।

(च) संस्था द्वारा बेरोजगार युवक एवं युवतियों के उत्थान के लिए सिलाई-कटाई, कशीदाकारी, रंगाई-बुनाई एवं पेन्टिंग आदि की प्रशिक्षण देगी जिससे कि आत्म निर्भर होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

(छ) संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु कल्याण से संबंधित कार्यक्रम को चलायेगी एवं लोगों को इसकी सुविधा प्रदान करेंगी ।

(ज) संस्था ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रें में चिकित्सा सुविधा उपलब्धा करायेगी एवं रोगों की रोकथाम के लिए प्रयास करेंगी ।

(झ) संस्था कुष्ट, कैंसर, एड्स, एवं अन्य महामारियों के संबंध मे विशेष जानकारी देगी एवं उनके निदान के उपाय ढूढेंगी एवं सहयोग प्रदान करेगी ।

(ट) संस्था महिलाओं, अनाथों एवं गरीबों को मुफ्त चिकित्सा शिक्षण, एवं सलाह देने का व्यवस्था करेगी । संस्था रोग मुक्त एवं परिवार कल्याण पेय-जल, स्नानागृह आदि का प्रबंध तथा आयोगशाला की स्थापना करेगी ।

मिलान किया 11.4.25

सत्यापित प्रति

Scanned with OKEN Scanner

(ठ) संस्था अल्पसंख्यक युवतियों एवं समाज के सभी वर्ग के महिलाओं के लिए ए0 एन0 एम0 ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना करेंगी । जिसमें वे प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सकें ।

(ड) संस्था समाज के सभी वर्ग महिलाओं एवं पुरूषों को परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगी तथा शिविर लगाकर लोगों को नशाबन्दी बन्ध्याकरण आदि को प्रोत्साहित करेंगी ।

(ढ) संस्था गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के रक्षार्थ जच्चा-बच्चा टीकाकरण, पैष्टिक आहार एवं अन्य प्रकार की मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगी ।

(ण) संस्था हॉस्पीटल नर्सिग हॉम की स्थापना करेगी जिससे कि बेरोजगार युवक-युवतियों, विकलांगो, अनाथों आदि लाभान्वित हो सकें ।

(त) संस्था पोलियो एड्स, लेप्रोसी, हेपेटाईटिस-बी आदि जानलेवा बीमारी से बचाव हेतु तरह-तरह की जानकारी देने का प्रयास करेंगी इसके लिए सेमिनार का आयोजन करेंगी ।

(थ) संस्था सर्वशिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा अभियान, लोक शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था करेंगी ।

(द) संस्था दलित, पिछड़ा में व्याप्त अशिक्षा, निरक्षरता के उन्मूलन हेतु वयस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का संचालन, सर्वशिक्षा कार्यक्रम का संचालन एवं प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं का प्रशिक्षण एवं केन्द्र संचालन करेगी ।

(ध) संस्था बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगारोन्मुख कराने के उद्देश्य से सिलाई कटाई काशीदाकारी, बुनाई, सवेटर बुनाई, टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, टी0बी0, भी0सी0आर0, टेप रिकार्ड, रेडियों आदि की मरम्मति एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगी ।

(न) संस्था लघु उद्योग की स्थापना करेगी और बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर उसे हर तरह का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी ।

(प) संस्था बाढ़ भूकम्प, सुखाड आदि प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को यथासंभव सहायता करने का प्रयास करेंगी बेघरो को पुर्नवास आदि का काम सरकार से करने का आग्रह करेगी जिससे कि वे लाभान्वित हो सकें ।

(फ) खादी ग्रामोद्योग द्वारा स्वीकृत खादी, सुती, ऊनी, रेशमी कम्बल, पोली वस्तु, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई तथा ग्रामोद्योग का उत्पादन एवं बिक्री का प्रबंध करेगी जिससे कि वे लाभान्वित हो सके ।

(ब) खादी ग्रामोद्योग द्वारा स्वीकृत एवं संचालित सभी ग्रामोद्योग एवं लधु उद्योगों जैसे- होजियरी, काशीदाकारी चलाना तथा उस में विकास हेतु उत्पादित वस्तुओं का क्रय-विक्रय करना, प्रचार प्रदर्शनी, अनुसंधान करना एवं उन्नत किस्मों के अभिकरणों का निर्माण करना, खादी ग्रामोद्योग आयोग एव ग्रामोद्योग के विकास के लिए ऋण देना ।

(भ) संस्था कृषकों एवं मजदूरों को वैज्ञानिक ढ़ंग से कृषि करने का प्रशिक्षण देगी एवं उनकी उपज का लाभकर मूल्य दिलाने का सतत प्रयत्नशील रहेगी । ग्रामीण क्षेत्रें में कृषि पर आधाारित उद्योगो की स्थापना जानकारी एवं सहयोग प्रदान करेगी ।

(म) संस्था कृषि विकास हेतु कुँआ, तलाब, बॉधा, नहर, पम्पींग सेट, उत्तम खाद बीज आदि की व्यवस्था करेंगी और असंगठित खेतीहर कृषक एवं मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बनाना एवं सरकार की मदद से उन्हें क्रियान्वित करना ।

सत्यापित प्रति

(य) संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु भंडार, गृह निर्माण कृषि पर आधारित वस्तु की खरीद बिक्री की व्यवस्था करेंगी । कृषि उपकारण एवं कृषि पर आधारित मत्स्यपालन, तलाबों का निर्माण आदि करेंगी । कृषि से लाभ के लिए अलगं, आहर, पोखर, पैईन का निर्माण-मरम्मति एवं उडाही आदि का कार्य करेगी ।

(र) संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक चेतना जागृत करने का उद्देश्य से स्टेज एवं नुक्कड नाटक की प्रस्तुति करेगी ।

(ल) संस्था कला के विभिन्न आयाम यथा-नट्यकला चित्रकला, मूर्तिकला, संगीतकला, नृत्यकला, योग आदि के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करेंगी ।

(व) समाज के हर वर्ग के लोगों को इन विद्याओं का प्रशिक्षण लेने हेतु उत्प्रेरित करना साथ ही इन विद्याओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व समाज एवं राष्ट्र के पुनर्जागरण एवं अभ्युत्थान हेतु कार्य एवं योगदान करने हेतु उत्प्रेरित करना ।

(श) सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ एवं स्टेज नाटक लेखन एवं प्रस्तुतिकरण साथ ही समय समय पर नुक्कड सभा एवं विचार गोष्ठी आयोजित कर जन साधारण में इसका प्रचार-प्रसार कर इन कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने हेतु उत्प्रेरित करना ।

(ष) अपनी भारतीय संस्कृति की विलुप्त होती जा रही परम्परा को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से नाटक लेखन एवं उसकी प्रस्तुति की व्यवस्था करना ।

(स) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारधारा जागृत करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान की धाराओं पर आधारित विचार गोष्ठी, नुक्कड़ सभा अयोजित करना तथा नाटक लेखन एवं प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था करना ।

(ह) झुगी-झोपड़ी के बच्चों में स्कूली शिक्षा के प्रति रूझान पैदा करना एवं उनके मानसिक, बौद्धिक कौशलता को सकारात्म दिशा देना तथा इनको नाट्य शिक्षा देकर प्रदर्शन हेतु मंच प्रदान करना ।

(क्ष) रंगमण्डल की स्थापना हेतु विशेष प्रयास करना तथा रंगमंच की रूप प्रदान करना ।

(त्र) संस्था गरीब लोगों, अल्पसंख्यकों, अनाथों, महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक उत्थान की दिशा में प्रयासरत रहेगी ।

(ज) संस्था पत्र पत्रकारिता का प्रकाशन करेगी जिससे प्रतिभा सम्पन्न एवं जिज्ञाशु छात्र लाभान्वित हो सकें अल्याधुनिक पाठशाला, छात्रवास एवं विज्ञान संबंधी अन्य जरूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगी ।

(अ) संस्था दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए लोगों को प्रशिक्षित करेगी । दहेज रूपी दानव से बचाव हेतु कार्यक्रम संचालित करेगी एवं गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करेगी एवं दहेज उन्मूलन की दिशा में कारगर कदम उठाएगी ।

(आ) संस्था गरीब लोगों, अल्पसंख्यकों, अनाथों, महिलाओं के सामाजिक,शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के हर संभव प्रयास करेगी ।

(इ) संस्था पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेगी । वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजत कराएगी ।

सत्यापित प्रति